तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लक्ष्मी परिहार बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 127/2022	

08-06-2022

अपीलार्थी लक्ष्मी परिहार, आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता निवासी बेरा चेरिया रामपुरा भाटियान तहसील तिंवरी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.04.2022 में (1) ग्राम रामपूरा भाटियान में विज्ञप्ति सन् 2017 के अनुसार मेरे नाम का प्रस्ताव व आवेदन दिनांक 11.12.2017 के दिन पेश किया था उस आवेदन की कॉपी व उस आवेदन पर किए गए आदेश की सम्पूर्ण सूचना व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीया उपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 691 दिनांक 27.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रामपूरा भाटियान को कार्यालय के पत्रांक 520 दिनांक 22.04.2022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था तथा प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी(ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत रामपूरा भाटियान प.सं. तिवारी जिला जोधपुर को प्रेषित किया जा चुका है तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा यदि सूचना नहीं दी गई है तो उनका प्रथम अपीलीय अधिकारी सरपंच, ग्राम पंचायत रामपूरा भाटियान है, न कि जिला कलक्टर जोधपुर। अतः अपील [illegible] स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। [illegible] पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान [illegible] प.सं. तिंवरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीया द्वारा चाही गई सूचना दें अन्यथा [illegible] जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:19:16 IST
Reason: SelfAttested